



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक /1665/सा.प्रशा./एफ-1/2020

रायपुर, दिनांक

07/08/2020

प्रति,

अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ एवं
समस्त विभागीय अधिकारी,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यालय के संचालन के संबंध में।

संदर्भ:- 1) कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश क्रमांक 99/एस.डब्ल्यू.
/2020 रायपुर, दिनांक 06.08.2020

विषयान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु घोषित लॉकडाउन होने के फलस्वरूप लॉकडाउन अवधि में कार्यालयों में कार्य संपादित नहीं हो रहा था। वर्तमान में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा जारी संदर्भित आदेश के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालय संचालन का कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाना है।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अध्ययनशालाओं में वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए, शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य संचालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क. /1666/सा.प्रशा./एफ-1/2020

रायपुर, दिनांक

07/08/2020

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ ।
02. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ ।
03. कुलअनुशासक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
04. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा एजेंसी का सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
05. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।

उपकुलसचिव(प्रशा.)

- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से बचने के लिए केंद्र और राज्य शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- नोवेल कोरोना वायरस(COVID-19) से खुद बचें तथा औरों को बचाएँ।